नं.1(12)/CLCSS/विविध/नकली ऋण/2020-21

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई)

****

7 वीं मंजिल, ए विंग,

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 18 सितंबर, 2020

धोखाधड़ी की चेतावनी

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्व, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत एमएसएमई मंत्रालय से सीधे ऋण की सुविधा प्रदान करवाने के बहाने पैसे की मांग कर रहे हैं।

इस संदर्भ में सभी को सूचित किया जाता है कि एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार किसी भी क्रेडिट योजना के लिए सीधे लाभार्थियों से संपर्क नहीं करता है। मंत्रालय की सभी क्रेडिट योजनाओं का क्रियान्वयन केवल बैंकों / वित्तीय संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो एमएसएमई ऋण / क्रेडिट सुविधा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अपने निकटतम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से सीधे संपर्क करना चाहिए। एमएसएमई मंत्रालय की क्रेडिट योजनाओं का विवरण हमारी निम्नलिखित वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

(https://msme.gov.in, http://dcmsme.gov.in और https://champions.gov.in)

एमएसएमई मंत्रालय, उद्यमियों एवं आम जनमानस को ऐसे धोखेबाजों द्वारा सीधे या वेबसाइट/फोन कॉल आदि के माध्यम से इस तरह के प्रस्तावों का शिकार नहीं होने की चेतावनी देता है। एमएसएमई मंत्रालय उद्यमियों एवं आम जनमानस को यह भी सलाह देता है कि ऐसे धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों / संस्थानों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित न करें। उद्यमियों एवं आम जनमानस को इस कारण हुए वित्तीय नुकसान के लिए एमएसएमई मंत्रालय की कोई जवाबदेही नहीं होगी।